पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

[illegible]–2–18
[illegible]–215/2017
आरबीई सं0–128/2017
[illegible] ई/227/2/भाग–15/चार

दिनॉक 11–10–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः—सेवा की तात्कालिक आवश्यकता होने की स्थिति में दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई (एनजी)।।/2010/आरसी–4/6 दिनांक 14.09.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2— महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3— महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4— पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5— महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6— मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

R-8

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

18

NER

2
215/2017

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

****

No. E(NG)II/2010/RC-4/6

New Delhi, dated 14 .09.2017

ll: circulate 18.09.17

The General Manager (P)
All Indian Railways/PUs

Sub: Re-engagement of retired staff on daily remuneration basis in exigencies of services.

*****

172 Attention is invited to this Ministry's letter of even number dated 07.10.2016 (RBE No. 119/2016) on the above subject. Keeping in view the acute shortage of staff in various categories of posts and consequent hampering of the Railway's services, Ministry of Railways (Railway Board) have decided to extend the said scheme, in exigencies of services, for a further period of one year, i.e. up to 14.09.2018, in the same terms & conditions as mentioned in Board's letter of even number dated 27.09.2012. While implementing the scheme, General Managers may keep in view the fresh recruitment made in the vacant posts.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways (Railway Board).

(Neeraj Kumar)
Director Estt. (N)II
Railway Board

उं.
21/5/2017

आरबीई सं 128/2017

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)II/2010/आरसी-4/6

नई दिल्ली, दिनांक 14 09.2017

महाप्रबन्धक (पी)
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : सेवा की तात्कालिक आवश्यकता होने की स्थिति में दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुन: नियुक्ति।

*****

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 07.10.2016 के समसंख्यक पत्र (आरबीई नं. 119/2016) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। विभिन्न कोटियों के पदों पर कर्मचारियों की अत्यधिक कमी और उसके परिणामस्वरूप रेलवे की सेवाओं के बाधित होने को ध्यान में रखते हुए, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने उक्त योजना को बोर्ड के पत्र दिनांक 27.09.2012 के समसंख्यक पत्र में यथा उल्लिखित उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर, सेवा की तात्कालिक आवश्यकता होने की स्थिति में पुन: एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 14.09.2018 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना को लागू करते समय कहाप्रबंधक खाली पदों पर की गई नई भर्ती को ध्यान में रखें।

इसे रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

नीरज कुमार
(नीरज कुमार)
निदेशक स्था. (अराज)II
रेलवे बोर्ड